भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
सीआईएन / CIN : L32309KA1954GOI000787
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 71वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) **गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त, 2025 को सुबह 09.30 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (''ओएवीएम'') से निम्नलिखित कार्य करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कार्य-

1. निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -

   क) 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट; और

   ख) 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 1.50 (150%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना और ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹0.90(90%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना।

3. श्री के वी सुरेश कुमार (डीआईएन-10200827) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, निदेशक (विपणन) जो बारी-बारी से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होते हैं, स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

विशेष कार्य-

4. **निदेशक पद पर श्री रजनीश शर्मा (डीआईएन-10738394) की नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

   ''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 71st Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on **Thursday, 28 August 2025, at 09:30 a.m (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt:

   a) the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2025 and the reports of the Board of Directors & the Auditors thereon; and

   b) the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2025 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 1.50 (150%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 0.90 (90%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2024-25.

3. To appoint a Director in place of Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827), Director (Marketing) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Appointment of Mr Rajnish Sharma (DIN: 10738394) as Director.**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment

पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, श्री रजनीश शर्मा (डीआईएन - 10738394) जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई 0032/2/2023 डी(बीईएल) दिनांक 9 अगस्त 2024 द्वारा निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स) नियुक्त किया गया था और तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और दिनांक 10 अगस्त 2024 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए निदेशक (बेंगलूर कॉमप्लेक्स) पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक का पदग्रहण करने के अभ्यर्थी के रूप में श्री रजनीश शर्मा (डीआईएन - 10738394) का प्रस्ताव करने के अपने आशय का उल्लेख करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ-साथ लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

5. **निदेशक पद पर ले. जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) (डीआईएन -09461326) की नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियमन, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, ले. जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) (डीआईएन - 09461326) जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 22 अप्रैल 2025 द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2025 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

6. **निदेशक पद पर श्री हरिकुमार राघवन नायर (डीआईएन-11086669) की नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, श्री हरिकुमार राघवन नायर (डीआईएन-11086669) जिन्हें भारत सरकार द्वारा

thereof for the time being in force), Mr Rajnish Sharma (DIN: 10738394), who was appointed as Director (Bangalore Complex) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/2/2023-D(BEL) dated 9 August 2024 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Bangalore Complex) w.e.f 10 August 2024 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mr Rajnish Sharma (DIN: 10738394) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

5. **Appointment of Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.), (DIN: 09461326) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.) (DIN: 09461326), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2019-D(BEL) dated 22 April 2025 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 23 April 2025 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

6. **Appointment of Mr Harikumar Raghavan Nair (DIN: 11086669) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Harikumar Raghavan Nair (DIN: 11086669), who was

रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई 0032/2/2024 डी(बीईएल) दिनांक 1 मई 2025 द्वारा निदेशक (अनुसंधान व विकास) नियुक्त किया गया था और तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और दिनांक 2 मई 2025 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए निदेशक (अनुसंधान व विकास) पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक का पदग्रहण करने के अभ्यर्थी के रूप में श्री हरिकुमार राघवन नायर (डीआईएन -11086669) का प्रस्ताव करने के अपने आशय का उल्लेख करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ-साथ लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

7. **निदेशक पद पर श्री प्रदीप त्रिपाठी (डीआईएन -11111295) की नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, श्री प्रदीप त्रिपाठी (डीआईएन -11111295) जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 15 मई 2025 द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16 मई 2025 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

8. **निदेशक पद पर श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (डीआईएन -07781550) की नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (डीआईएन -07781550) जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 16 मई 2025 द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत

appointed as Director (Research and Development) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/2/2024-D(BEL) dated 1 May 2025 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Research and Development) w.e.f 2 May 2025 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mr Harikumar Raghavan Nair (DIN: 11086669) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

7. **Appointment of Mr Pradeep Tripathi (DIN: 11111295) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr Pradeep Tripathi (DIN: 11111295), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP- E0032/3/2019-D(BEL) dated 15 May 2025 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 16 May 2025 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

8. **Appointment of Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar (DIN: 07781550) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar (DIN: 07781550), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2019-D

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21 मई 2025 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

9. निदेशक पद पर श्री कामेश कसाना (डीआईएन -11194293) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, श्री कामेश कसाना (डीआईएन -11194293) जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई 0032/4/2024-डी(बीईएल) दिनांक 14 जुलाई 2025 द्वारा निदेशक (अन्य यूनिटें) नियुक्त किया गया था और तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और दिनांक 14 जुलाई 2025 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए निदेशक (अन्य यूनिटें) पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक का पदग्रहण करने के अभ्यर्थी के रूप में श्री कामेश कसाना (डीआईएन -11194293) का प्रस्ताव करने के अपने आशय का उल्लेख करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ-साथ लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

10. निदेशक पद पर सुश्री मीरा मोहंती (डीआईएन -03379561) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उनके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, सुश्री मीरा मोहंती (डीआईएन -03379561) जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 8(32)/2019-डी (कोऑर्ड/डीडीपी) दिनांक 14 जुलाई 2025 द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2025 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यग्रहण करने के लिए अपर

(BEL) dated 16 May 2025 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 21 May 2025 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

9. Appointment of Mr Kamesh Kasana (DIN: 11194293) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Kamesh Kasana (DIN: 11194293), who was appointed as Director (Other Units) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/4/2024-D(BEL) dated 14 July 2025 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Other Units) w.e.f 14 July 2025 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Kamesh Kasana (DIN: 11194293) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

10. Appointment of Ms Meera Mohanty (DIN: 03379561) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Ms Meera Mohanty (DIN: 03379561), who was appointed as Part-time Official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 8(32)/2019-D (Coord/DDP) dated 14 July 2025 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 16 July 2025 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and

निदेशक नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक का पदग्रहण करने के अभ्यर्थी के रूप में सुश्री मीरा मोहंती (डीआईएन -03379561) का प्रस्ताव करने के अपने आशय का उल्लेख करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ-साथ लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगी।''

11. सचिवीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना-

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, जिन्हें उनके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाना है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता की बाध्यताएं और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (किसी संवैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू उसके पुन: अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे शुल्क तथा लागू कर और फुटकर व्यय पर जो कंपनी के निदेशक मंडल और सचिवीय लेखापरीक्षकों के बीच परस्पर सहमत हो, कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।''

12. लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित), के अनुसरण में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मेसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट लागत लेखाकार, बेंगलूरु (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 4,50,000/- (रुपए चार लाख पचास हज़ार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।''

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
1 अगस्त, 2025

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Ms Meera Mohanty (DIN: 03379561) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

11. Appointment of Secretarial Auditors

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 204 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder and Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), M/s Thirupal Gorige & Associates LLP, Practicing Company Secretaries be and are hereby appointed as Secretarial Auditors of the Company for a term of five consecutive years commencing from financial year 2025-26 till financial year 2029-30, at such fees, plus applicable taxes and out-of-pocket expenses as may be mutually agreed upon between the Board of Directors of the Company and the Secretarial Auditors."

12. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the members of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 4,50,000 (Rupees Four Lakh and Fifty Thousand only) plus applicable taxes to M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2026."

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
1 August 2025

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020,17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 2/2022 दिनांक 5 मई 2022,10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 नवीनतम 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (इसके बाद सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों में कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य श्रव्य साधन (एवीएम) के माध्यम से सामान्य स्थल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) और परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 71वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का समतुल्य स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु-560045 होगा।

2. चूँकि एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है।

3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।

4. इन परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपाज़िटरियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान सुविधा और ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

   सदस्य एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 भेजने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्व-अनुप्रमाणित पैन कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की कॉपी प्रदान करते हुए विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ-साथ अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेज सकते हैं।

NOTE

1. The Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020, 2/2022 dated 5 May 2022, 10/2022 dated 28 December 2022, 09/2023 dated 25 September 2023 the latest being 09/2024 dated 19 September 2024 and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3 October 2024 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), and other applicable circulars issued in this regard, have permitted the companies to conduct AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) till 30 September 2025, without physical presence of Members at a common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the Circulars, the 71st AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company, Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560045.

2. Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form, Attendance Slip is not annexed to this Notice.

3. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

4. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at www.evotingindia.com.

   Members may send their request to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in along with scanned copy of request letter duly signed, providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and client master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2024-25.

5. कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में रिमोट ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्क्रूटिनाइज़र को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) की प्रमाणित प्रति gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए कंपनी पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरटीए) मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें।

   वैकल्पिक रूप से, कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) भी "e-Voting" टैब के तहत "Upload Board Resolution/Authority Letter" पर क्लिक करते हुए अपने मंडल संकल्प / मुख्तारनामा / प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

6. ऊपर बताए गए विशेष कार्य के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुन:नियुक्त चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न हैं जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।

7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियां 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ **शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 से रविवार, 17 अगस्त, 2025** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रखी जाएगी।

8. निदेशक मंडल ने ₹ 1/- के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.50 (150%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अदा किया गया। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंटों/डीडी का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों को दोबारा विधिमान्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 19 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1/- प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर ₹ 0.90/- (90%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2024-25 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम **14 अगस्त 2025** को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियलकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोज़िटरियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार **14 अगस्त 2025** को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

5. Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the AGM are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter (PDF/JPG format) to the Scrutiniser through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/ OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.

   Alternatively, the Corporate /Institutional Members (i.e., other than individuals, HUFs, NRIs, etc.) can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/ Authority Letter, etc., by clicking on the "Upload Board Resolution/ Authority Letter" displayed under the "e-Voting" tab.

6. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under Regulation 36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Friday, 15 August 2025 to Sunday, 17 August 2025** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of dividend for the financial year ended 31 March 2025, if declared at the AGM.

8. The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 1.50 (150%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid for the financial year 2024-25. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/ DDs may approach RTA of the Company for revalidating the expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 19 May 2025, has recommended a final dividend of ₹ 0.90 (90%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2024-25, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on **14 August 2025** in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on **14 August 2025** as per the details furnished by the depositories.

9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपाज़िटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त किया गए चैक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं।

पंजीयक तथा अंतरण एजेंट को जारी सेबी के मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 जिसे सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/81 दिनांक 10 जून, 2024, सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17 नवंबर, 2023 तथा सेबी के अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसरण में, सेबी ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 से यह अनिवार्य बनाया है कि लाभांश का भुगतान भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा बशर्ते कि फोलियो केवाईसी का पालन करता हो। फोलियो को सभी विवरण दर्ज करने पर केवाईसी अनुरूप माना जाएगा जैसे पिन कोड सहित पूरा पता, मोबाइल नं., ईमेल आईडी, बैंक विवरण, फोलियो में सभी धारकों के आधार के साथ संबद्ध वैध पैन, नमूने के हस्ताक्षर, नामांकन आदि। तदनुसार, फोलियो में उक्त विवरण अद्यतन करने के बाद ही भौतिक धारकों को लाभांश अदा किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना केवाईसी पूरा कर लें। इसे अद्यतन करने के फार्म https://bel-india.in/investors/#generalinfo और https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx में उपलब्ध कराए गए हैं।

10. 'हरित पहल'का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अध्यादेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन,यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी.पी. को, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, चौथा क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु, कर्नाटक - 560003 को, यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए हों, को दें। सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण, लाभांश की प्राप्ति और अन्य सेवाओं के लिए बैंक खाते के विवरण का अद्यतन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाए।

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank details and cancelled cheque along with requisite documents to Company's RTA.

Pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024 issued to the Registrar and Transfer Agents read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated 10 June 2024, SEBI Circular No. SEBI/ HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17 November 2023, and other related SEBI Circulars, SEBI has mandated that, with effect from 1 April 2024, dividend shall be paid only through electronic mode to Shareholders holding shares in physical form if the folio is KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz. full address with pin code, mobile no., email id, bank details, valid PAN linked to Aadhaar of all holders in the folio, specimen signature, nomination, etc. Accordingly, dividend shall be paid to physical holders only after the above details are updated in their folios. Shareholders are requested to complete their KYC. The forms for updating the same are available at - https://bel-india.in/investors/#generalinfo and https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx.

10. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code etc., to their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru, Karnataka – 560003, in case the shares are held by them in physical form. Members may follow the process detailed below for registration of email ID to obtain the notice of the AGM and Annual Report, updation of bank account details for the receipt of dividend and other services.

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है	
भौतिक	निम्नलिखित निवेशक सेवाएं प्राप्त करने के लिए, कंपनी के आरटीए, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित प्रारूप में लिखित अनुरोध डाक द्वारा नं. 30, रमणा रेसीडेंसी, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को भेजें।	
	भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए पैन, ईमेल एड्रेस, बैंक के विवरण तथा अन्य केवाईसी विवरण या उनमें परिवर्तन / अद्यतन सूचना दर्ज करने संबंधी निवेशक सेवाएं प्राप्त करने का फार्म	फॉर्म आईएसआर-1
	प्रतिभूति धारक का हस्ताक्षर अद्यनत करना	फॉर्म आईएसआर-2
	कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 19(1) में बताए गए अनुसार नामांकन के लिए	फॉर्म एसएच-13
	विकल्प लेने की घोषणा	फॉर्म आईएसआर-3
	धारक द्वारा नामांकन रद्द करना (आईएसआर-3 के साथ) / नामिती का परिवर्तन	फॉर्म एसएच-14
	डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र जारी करने तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों / ऋणपत्रों / बांड आदि के लिए अन्य सेवा अनुरोधों का फॉर्म	फॉर्म आईएसआर-4
	उक्त विवरण / सेवा अनुरोध अद्यन करने के फॉर्म यहां उपलब्ध हैं- https://bel-india.in/investors/#generalinfo और https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx.	
डीमैट	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल एड्रेस, केवाईसी विवरण, अद्यतन हस्ताक्षर, नामांकन/ नामांकन का रद्दीकरण, बैंक खाता के विवरण दर्ज करें।	

11. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि लाभांश का नकदीकरण कंपनी के अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख से निरंतर 7 वर्षों की अवधि तक नहीं किया जाता है तो ऐसे लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि ('आईईपीएफ') को अंतरित किए जाएँगे। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश / शेयर आईईपीएफ को अंतरित किया गया है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फार्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करते हुए उसका दावा कर सकते हैं।

Type of holder	Process to be followed	
Physical	For availing the following investor services, send a written request in the prescribed forms to the RTA of the Company, Integrated Registry Management Services Private Limited by post to No.30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003.	
	Form for availing investor services to register PAN, email address, bank details and other KYC details or changes / update thereof for securities held in physical mode	Form ISR-1
	Update of signature of securities holder	Form ISR-2
	For nomination as provided in the Rules 19 (1) of Companies (Share capital and debenture) Rules, 2014	Form SH-13
	Declaration to opt out	Form ISR-3
	Cancellation of nomination by the holder(s) (along with ISR-3) / Change of Nominee	Form SH-14
	Form for requesting issue of Duplicate Certificate and other service requests for shares / debentures / bonds, etc., held in physical form	Form ISR 4
	The forms for updating the above details/service request are available at - https://bel-india.in/investors/#generalinfo and https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx.	
Demat	Please contact your DP and register your email address, KYC details, update of signature, nomination/ Cancellation of nomination, bank account details etc in your demat account, as per the process advised by your DP.	

11. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/ shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an application to the IEPF Authority in Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

अंतिम लाभांश 2017-18, प्रथम अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2018-19, द्वितीय अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2018-19 और तृतीय अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2018-19 की अदावी / अदत्त लाभांश राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित करने के लिए देय हैं। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2025 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है। अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में अपलोड किए गए हैं। दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए के साथ पत्राचार करें।

12. सूचीबद्धता विनियम, यथा संशोधित, के विनियम 40 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के नए अंतरण अनुरोध स्वीकार करना बंद कर दिया था। कंपनी के शेयर भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर अमूर्तीकरण के निहित अनुलाभ प्राप्त करने के लिए डीमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, सदस्य नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी 2022 जिसे सेबी के मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/ पी/सीआईआर /2024/37 दिनांक 7 मई, 2024, यथा लागू, के साथ पढ़ा जाना है, ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे किसी भी सेवा अनुरोध जैसे डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण-पत्र जारी करना, अदावी उचंत खाता का दावा / प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का नवीकरण / विनिमय, पृष्ठांकन, प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का उप-विभाजन / विखंडन, प्रतिभूति प्रमाण-पत्र / फोलियो का समेकन, संचरण और पक्षांतरण पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट फार्म में प्रतिभूतियों को जारी करें। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर- 4 जमा करते हुए सेवा अनुरोध करें, इसका फार्मेट https://bel-india.in/investors/#generalinfo और https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx में उपलब्ध कराया गया है। ध्यान दिया जाए कि किसी भी सेवा अनुरोध को फोलियो के केवाईसी अनुपालन के बाद ही प्रोसेस किया जा सकता है।

13. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961, संबंधित वर्षों के वित्त अधिनियम और उसके संशोधन देखें। कंपनी को उचित टीडीएस तय करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 28 अगस्त, 2025 से पहले https://ipostatus.integratedregistry.in/TaxExemptionRegistration.aspx में कंपनी के आरटीए मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार

The unclaimed/unpaid dividend amount of Final Dividend 2017-18, first interim dividend FY 2018-19, second interim dividend FY 2018-19 and third interim dividend FY 2018-19, are due for transfer to IEPF during the financial year 2025-26. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2025 on the website of the Company www.bel-india.in. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the RTA.

12. In accordance with Regulation 40 of the Listing Regulations, as amended, the Company had stopped accepting any transfer requests for securities held in physical form. Members holding shares of the Company in physical form are requested to kindly get their shares converted into demat/electronic form to get inherent benefits of dematerialization.

Further, Members may please note that SEBI vibe its Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25 January 2022 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024, as applicable has mandated listed companies to issue securities in demat form only while processing any service requests viz. issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR-4, the format of which is available at at - https://bel-india.in/investors/#generalinfo and https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant.

13. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Income tax Act, 1961, Finance Act of the respective years and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at https://ipostatus.integratedregistry.in/TaxExemptionRegistration.aspx or before 28 August 2025. No communication on the tax determination / deduction

नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित करते हों) और डिपाज़िटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैन को अद्यतन करा लें।

14. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खातों या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

15. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 में बताए गए अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी व्यक्ति जिन्हें कंपनी में उनके शेयर फार्म में उल्लिखित घटना घटने पर निहित होंगे, को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन का विकल्प लेना चाहते हैं या उसे रद्द करना चाहते हैं और नया नामाकंन दर्ज कराना चाहते हैं वे फॉर्म आईएसआर-3 या फॉर्म एसएच-14, जैसा मामला हो, में जमा करा सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को डुप्लिकेट में फार्म संख्या- एसएच-13 दे सकते हैं। शेयरों को अमूर्त रूप में धारित करने पर नामांकन संबंधित डीपी में दर्ज कराना होगा।

16. कंपनी ने 71वीं एजीएम के लिए वीडियों कांफ्रेसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए www.evotingindia.com की ई-मतदान वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे।

17. **वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -**

क) बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों की ही तरह है।

ख) बैठक में शामिल होने के लिए वीसी / ओएवीएम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

ग) शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड से बैठक में शामिल हों। इसके अलावा, शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आईपैड के कैमेरा चालू रखना होगा और बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करना होगा।

घ) कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।

shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

14. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.

15. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form SH-13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form ISR-3 or Form SH-14 as the case may be. Persons holding shares in physical form may send Form No. SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.

16. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing facility for the 71st AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of www.evotingindia.com using their secure login credentials.

17. Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:

a. The procedure for attending meeting is same as the instructions mentioned below for remote e-voting.

b. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned below for remote e-voting.

c. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / IPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

d. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

ङ) सदस्य इस सूचना में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम शुरु होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

च) वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ - पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखापरीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

छ) जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे **14 अगस्त, 2025 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 22 अगस्त, 2025 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.)** तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएँगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।

ज) ऐसे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान विचार व्यक्त नहीं करना चाहते हैं परंतु जो कुछ पूछना चाहते हैं, वे अपने प्रश्न अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए 22 अगस्त 2025 तक secretary@bel.co.in को भेज सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा दिए जाएंगे।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20, सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में व्यवहरित कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान सुकर बनाने के लिए, अधिकृत रिमोट ई-मतदान एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार किया है। रिमोट ई-मतदान का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने तथा एजीएम में ई-मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-मतदान के अनुदेश नीचे दिए गए हैं -

e. The Members can join the AGM through VC/ OAVM 30 minutes before the scheduled time of commencement of the AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.

f. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at-least 1000 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from **14 August 2025 (09:00 a.m. IST) to 22 August 2025 (05:00 p.m IST).** Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.

h. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries by 22 August 2025 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at secretary@bel.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.

18. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by Members using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. The instructions for remote e-voting are as under:

रिमोट ई-मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश -

(i) रिमोट ई-मतदान की अवधि **रविवार, 24 अगस्त 2025 को सुबह 9:00 बजे आईएसटी** से शुरु होगी और **बुधवार, 27 अगस्त 2025 को शाम 5.00 बजे आईएसटी** को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो **21 अगस्त, 2025** की निर्दिष्ट तारीख को शेयरों को वास्तविक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) जिन सदस्यों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान किया है, वे एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा के बारे में सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 (''सेबी परिपत्र'') के परिप्रेक्ष्य में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों को डिपोज़िटरी तथा डिपोज़िटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए उनके डीमैट खाते द्वारा मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन कर लें।

क) डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-मतदान करने और एजीएम में शामिल होने की लॉगिन विधि नीचे दी गई है -

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईज़ी / ईज़िएस्ट सुविधा का विकल्प लिया है, वे अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसका विकल्प बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पेज पर पहुंचने के लिए उपलब्ध होगा। ईज़ी / ईज़िएस्ट में लॉगिन करने वाले प्रयोक्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com देखें और login icon & My Easi New (Token) टैब पर क्लिक करें। 2) ईज़ी / ईज़िएस्ट में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, यूज़र पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई-मतदान प्रगति में होगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर, यूज़र रिमोट ई-मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पेज देख सकते हैं या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, ई-मतदान के सभी सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिंक भी दिए गए हैं ताकि यूज़र ई-मतदान सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट में सीधे जा सकें।

Instructions for Members for Remote E-voting:

(i) The remote e-voting period begins on **Sunday, the 24 August 2025 at 09:00 a.m IST** and ends on **Wednesday, the 27 August 2025 at 05:00 p.m IST**. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **21 August 2025** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the AGM.

(iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9 December 2020 ("SEBI Circular") on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

A. Login method for e-Voting and joining the AGM for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	3) यदि प्रयोक्ता ने ईज़ी / ईज़िएस्ट में पंजीकरण नहीं किया है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है, इसके लिए पहले login & My Easi New (Token) टैब पर क्लिक करें और उसके बाद registration option पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, प्रयोक्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से अपना डीमैट खाता नं. और पैन नं. डालते हुए ई-वोटिंग पेज पर सीधे जा सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ.टी.पी. भेजते हुए यूज़र का प्रमाणीकरण करेगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर यूज़र ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-मतदान प्रगति में है और साथ ही ई-मतदान सेवा के सभी प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे।
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) यदि आप एनएसडीएल की IDeAS सुविधा में पहले से पंजीकृत हैं तो एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट में जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, `IDeAS' खंड के तहत उपलब्ध "Login" में "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको यहां अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आप ई-मतदान सेवाएं देख सकते हैं। ई-मतदान सेवा के तहत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें, आप ई-मतदान पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि यूज़र आइडियास ई-सेवा में पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

Type of Shareholders	Login Method
	3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, `Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध "Login" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी (यानी एनएसडीएल में आपका सोलह डिजि़ट का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आपको एनएसडीएल डिपाज़िटरी की साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा। 4) ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए, https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक करें। आपको अपना 8 डिजि़ट का डीपी आईडी, 8 डिजि़ट का क्लाइंट आईडी, पैन नं., सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी सृजित करना होगा। अपने पंजीकृत ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। सफल प्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपाज़िटरी साइट देख सकेंगे जहां आपको ई-वोटिंग पेज दिखेगा। **company name या e-Voting service provider name** पर क्लिक करें, आपको **e-Voting service provider website** दिखेगा जहां से आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग सकेंगे या वर्चुअल बैठक में शामिल हो सकेंगे और बैठक के दौरान मतदान कर सकेंगे।
अपने **डिपाज़िटरी प्रतिभागी** द्वारा लॉगिन करने वाले शेयरधारक (जो डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करते हैं)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी द्वारा अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सफल होने पर, आप ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे। ई-मतदान के विकल्प पर क्लिक करने पर आपको प्रमाणीकरण सफल होने के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपाज़िटरी की साइट को निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।

Type of Shareholders	Login Method
	3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on **company name or e-Voting service provider name** and you will be re-directed to **e-Voting service provider website** for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

महत्वपूर्ण नोट - सदस्य जो यूज़र आईडी / पासवर्ड दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित वेबसाइट में उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

ख. ई-मतदान और भौतिक शेयरधारकों तथा ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर शेयरधारक जो डीमैट के रूप में धारित करते हैं, के लिए वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉगिन करने की विधि।

i) शेयरधारकों को ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा।

ii) "Shareholders" मॉड्यूल में क्लिक करें।

iii) अब अपना यूज़र आईडी दर्ज करें -

क) सीडीएसएल के लिए-16 अंकों का हितलाभी आईडी,

ख) एनएसडीएल के लिए - 8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

ग) शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को कंपनी के पास दर्ज फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।

iv) इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

v) यदि आप शेयरों को डीमैट रूप में रखते हैं और www.evotingindia.com पर आपने लॉग ऑन कर किसी कंपनी के पहले के ई-मतदान पर मतदान किया है तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना है।

vi) यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 अंकों का अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारक, दोनों के लिए) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / डिपाज़िटरी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के अभिलेखों में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। • यदि दोनों विवरण डिपोज़िटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण के स्थान पर सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

B. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

ii) Click on "Shareholders" module.

iii) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

vi) If you are a first-time user follow the steps given below:

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

vii) इन विवरण को उचित ढंग से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

viii) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को इसके बाद कंपनी का चयन स्क्रीन दिखेगा। बहरहाल, डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों को अब `Password Creation' मेन्यू दिखेगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी जिसमें वे मतदान करने के पात्र हैं, के संकल्पों हेतु मतदान करने के लिए डीमैट धारकों द्वारा भी किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म द्वारा ई-मतदान का विकल्प लेती हो। इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड के संबंध में पूरी गोपनीयता बरतें।

ix) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए, इस विवरणों का उपयोग इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए ही किया जा सकता है।

x) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड- 250803002 के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं।

xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसी विकल्प के सामने मतदान के लिए "YES/NO" विकल्प होगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं के विकल्प का चयन करें। विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प को अस्वीकार करते हैं।

xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "RESOLUTIONS FILE LINK" क्लिक करें।

xiii) आप जिस संकल्प पर मतदान करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अपने मतदान को बदलने के लिए "CANCEL" क्लिक करें और तदनुसार अपने मतदान को संशोधित करें।

xiv) एक बार जब आप संकल्प पर मतदान "CONFIRM" देते हैं, तो आपको अपना मतदान संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

xv) आप मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।

xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूज़र आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

ग) <u>गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट मतदान के लिए</u>

i) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और स्वयं को "Corporates" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।

vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

x) Click on the EVSN of Bharat Electronics Limited: 250803002 on which you choose to vote.

xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

C. <u>Additional Facility for Non-Individual Shareholders and Custodians - for Remote Voting only.</u>

i) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

ii) संस्था के स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण प्रारूप की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।

iii) लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पॉसवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंप्लाइंस यूज़र बनाया जाना चाहिए। कंप्लाइंस यूज़र उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे मतदान देना चाहते हैं।

iv) लॉगिन से संबद्ध खातों की सूची अपने आप दिखेगी और गलत मापन की स्थिति में इसका लिंक हटा दिया जाएगा।

v) यह आवश्यक है कि मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पीओए) की स्कैन की गई प्रति जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई हो, सत्यापन के लिए स्क्रूटिनाइज़र हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जाए।

vi) वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जिन्हें मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के अनुप्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर के साथ मंडल के संबंधित संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि स्क्रूटिनाइज़र को उनके ईमेल gthirupal@gmail.com पर और उसकी प्रति कंपनी के आरटीए को irg@integratedindia.in पर भेजें, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया हो और इसे सत्यापन के लिए स्क्रूटिनाइज़र हेतु सीडीएसएल की ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया हो।

घ. एजीएम के दौरान ई-मतदान करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश-

i) एजीएम के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान है।

ii) केवल ऐसे सदस्यों के लिए, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसे करने से विवर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

iii) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के दौरान सदस्यों द्वारा कोई मतदान किया गया और ऐसे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो, ऐसे सदस्यों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान करने की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

iv) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ii) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

iii) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

iv) The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping.

v) It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

vi) Alternatively, non-individual shareholders are required mandatory to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer at the email address gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

D. Instructions for Members for e-voting during the AGM:

i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.

ii) Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. However, members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM.

iii) If any Votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.

iv) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

ङ. सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसे डिपोज़िटरी के माध्यम से लॉगिन करने संबंधी किसी तकनीकी मामलों के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com में अनुरोध भेजते हुए या टॉल फ्री नंबर 1800 21 09911 सीडीएसएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in में अनुरोध भेजते हुए या 022-4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल करते हुए एनएसडीएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

19. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारक के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले आते हैं, वे ही मतदान करने के हकदार होंगे।

20. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिगे, एफसीएस 6680, पेशेवर कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है। स्क्रूटिनाइज़र एजीएम में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, एजीएम में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे और एजीएम की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे। अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे।

अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना एक साथ बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।

21. प्रस्तावित संकल्पों को एजीएम की तारीख में पारित किया गया माना जाएगा, जो इन संकल्पों के पक्ष में मतों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के अधीन होगा।

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर रखा गया है और ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, तथा इस सूचना में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़ इस सूचना के

E. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

19. In case of joint holders attending the AGM, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote.

20. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutiniser to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutiniser shall, after the conclusion of e-voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and submit, a consolidated Scrutiniser's Report of the total number of votes cast in favour of or against or invalid, if any, not later than two working days of the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

The result, along with the Scrutiniser's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in immediately after the results are declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited, simultaneously.

21. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions.

22. The Register of Directors' and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the

परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 28 अगस्त 2025 तक बिना किसी शुल्क से सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध ई-मेल आईडी secretary@bel.co.in पर भेज सकते हैं।

23. एजीएम के दर्ज प्रतिलेख कंपनी द्वारा रखे जाएंगे और बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in के निवेशक खंड में उपलब्ध कराए जाएँगे।

24. चूँकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना के साथ रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

Notice will be available for inspection by the Members electronically without any fee from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM i.e. 28 August 2025. Members seeking to inspect such documents can send their request at the e-mail ID secretary@bel.co.in.

23. The recorded transcript of the AGM, shall be maintained by the Company and also be made available on the website of the Company www.bel-india.in in the Investor Section, at the earliest soon after the conclusion of the Meeting.

24. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2023-डी (बीईएल) दिनांक 9 अगस्त 2024 के माध्यम से श्री रजनीश शर्मा (डीआईएन- 10738394) को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक बीईएल के मंडल में निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने श्री रजनीश शर्मा को दिनांक 10 अगस्त 2024 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। परिणामस्वरूप, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद पर श्री रजनीश शर्मा, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164,196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत श्री रजनीश शर्मा निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

श्री रजनीश शर्मा को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 4 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 4 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 5 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 22 अप्रैल 2025 के माध्यम से लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) (डीआईएन-09461326) को एक साल की अवधि के लिए या अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) को दिनांक 23 अप्रैल 2025 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164, 196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (सेवानिवृत्त) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 16 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/2/2023-D(BEL) dated 9 August 2024, appointed Mr Rajnish Sharma (DIN: 10738394), as Director (Bangalore Complex) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Rajnish Sharma as an Additional Director w.e.f 10 August 2024, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Rajnish Sharma as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Mr Rajnish Sharma is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Rajnish Sharma, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.4 of the notice of this meeting.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.4 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.5:

The Government has vide its letter no. DDP-E0032/3/2019-D(BEL) dated 22 April 2025 appointed Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.) (DIN: 09461326) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.) as an Additional Director w.e.f 23 April 2025, to hold office until the date of this Annual General Meeting.

Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.) is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.) fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (सेवानिवृत्त) को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 5 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में दिए गए विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 6 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2024-डी(बीईएल) दिनांक 1 मई 2025 के माध्यम से श्री हरिकुमार राघवन नायर (डीआईएन- 11086669) को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक बीईएल के मंडल में निदेशक (अनुसंधान व विकास) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने श्री हरिकुमार राघवन नायर (डीआईएन-11086669) को दिनांक 02 मई 2025 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। परिणामस्वरूप, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद पर श्री हरिकुमार राघवन नायर, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164,196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत श्री हरिकुमार राघवन नायर निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

श्री हरिकुमार राघवन नायर को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 6 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 6 में दिए गए विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 7 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से प्रदीप त्रिपाठी (डीआईएन- 11111295) को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने श्री प्रदीप त्रिपाठी को दिनांक 16 मई 2025 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164, 196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत श्री प्रदीप त्रिपाठी निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.), is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.5 of the notice of this meeting.

The Board recommends the special resolution set out at the Item No.5 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.6:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/2/2024-D(BEL) dated 1 May 2025, appointed Mr Harikumar Raghavan Nair (DIN: 11086669), as Director (Research and Development) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Harikumar Raghavan Nair (DIN: 11086669) as an Additional Director w.e.f 2 May 2025, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Harikumar Raghavan Nair as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Mr Harikumar Raghavan Nair is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Harikumar Raghavan Nair, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.6 of the notice of this meeting.

The Board recommends the special resolution set out at the Item No.6 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.7:

The Government has vide its letter no DDP- E0032/3/2019-D(BEL) dated 15 May 2025 appointed Mr Pradeep Tripathi, (DIN: 11111295) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Pradeep Tripathi as an Additional Director w.e.f 16 May 2025, to hold office until the date of this Annual General Meeting.

Mr Pradeep Tripathi is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

श्री प्रदीप त्रिपाठी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 16 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

श्री प्रदीप त्रिपाठी को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 7 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 7 में दिए गए विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 8 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 16 मई 2025 के माध्यम से श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (डीआईएन-07781550) को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार को दिनांक 16 मई 2025 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164, 196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 16 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 8 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 8 में दिए गए विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 9 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र सं. डीडीपी-ई 0032/4/2024-डी (बीईएल) दिनांक 14 जुलाई 2025 द्वारा श्री कामेश कसाना (डीआईएन -11194293) को बीईएल के मंडल में उनकी सेवानिवृत्त की तारीख या अगले आदेश जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, को निदेशक (अन्य यूनिटें) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने श्री कामेश कसाना को दिनांक 14 जुलाई 2025 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत एक

Mr Pradeep Tripathi fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Pradeep Tripathi, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.7 of the notice of this meeting.

The Board recommends the special resolution set out at the Item No.7 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.8:

The Government has vide its letter no DDP-E0032/3/2019-D (BEL) dated 16 May 2025 appointed Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar, (DIN: 07781550) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar as an Additional Director w.e.f 21 May 2025, to hold office until the date of this Annual General Meeting.

Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar, is in anyway, concerned or Interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.8 of the notice of this meeting.

The Board recommends the special resolution set out at the Item No.8 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.9:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/4/2024-D(BEL) dated 14 July 2025, appointed Mr Kamesh Kasana, (DIN: 11194293), as Director (Other Units) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Kamesh Kasana as an Additional Director w.e.f 14 July 2025, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in

सदस्य से कंपनी के निदेशक के रूप में श्री कामेश कसाना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164, 196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत श्री कामेश कसाना निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

श्री कामेश कसाना को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 9 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 9 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 10 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र सं. 8(32)/2019-डी (कोऑर्ड/डीडीपी) दिनांक 14 जुलाई 2025 द्वारा सुश्री मीरा मोहंती (डीआईएन -03379561) को बीईएल के मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार निदेशक मंडल ने सुश्री मीरा मोहंती को दिनांक 16 जुलाई 2025 से इस सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के रूप में सुश्री मीरा मोहंती, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगी, की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164, 196(3) के प्रावधान जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत सुश्री मीरा मोहंती निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अनर्ह नहीं हैं।

सुश्री मीरा मोहंती को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस बैठक की सूचना के मद सं. 10 में दिए गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 10 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 11 के संबंध में -

मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर 28 जुलाई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कार्यरत कंपनी सचिव, एक विद्वत समीक्षित फर्म (एलएलपी पंजीकरण सं- एलएलपीआईएन-एएएल-8217) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कार्यरत कंपनी सचिव का चयन कंपनी द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया गया है।

writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Kamesh Kasana as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Mr Kamesh Kasana is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Kamesh Kasana, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.9 of the notice of this meeting.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.9 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.10:

The Government has vide letter no. 8(32)/2019-D (Coord/DDP) dated 14 July 2025, appointed Ms Meera Mohanty (DIN: 03379561), as Part-time Official Director on the Board of BEL.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Meera Mohanty as an Additional Director w.e.f 16 July 2025, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Ms Meera Mohanty as a Director of the Company, not liable to retire by rotation.

Ms Meera Mohanty is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Ms Meera Mohanty, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.10 of the notice of this meeting.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.10 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.11:

The Board at its meeting held on 28 July 2025, based on recommendation of the Audit Committee, has approved the appointment of M/s Thirupal Gorige & Associates LLP, Practicing Company Secretaries a peer reviewed firm (LLP Registration Number: LLPIN: AAL-8217) as Secretarial Auditors of the Company for a term of five consecutive years commencing from FY 2025-26 till financial year 2029-30, subject to approval of the Members. M/s Thirupal Gorige & Associates LLP, Practicing Company Secretaries is selected through open tender by the Company.

सचिवीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सेबी की अधिसूचना दिनांक 12 दिसंबर, 2014 द्वारा सेबी सूचीबद्धता विनियम के संशोधित विनियम 24ए और अधिनियम की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, बेंगलूरु स्थित पेशेवर कंपनी सचिवों की एक प्रसिद्ध फर्म है। गुणता और सटीकता के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए विख्यात इस फर्म की भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा विद्वत समीक्षा की गई है।

मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव ने सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और पुष्टि की है कि नियुक्त किए जाने पर उनकी नियुक्ति सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर 2024 और इस संबंध में जारी अन्य संबंधित लागू सेबी के परिपत्रों के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24ए के अनुसार होगी।

मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव ने पुष्टि की है कि उनका फर्म अयोग्य नहीं है और वह सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24ए के संदर्भ में सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के पात्र है।

कंपनी के कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना के मद सं. 11 में दिए गए संकल्प में वित्तीय या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 11 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 12 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक नियम), 2014 (नियमों) के नियम 14 के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी अपेक्षित है कि लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन बाद में सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 28 जुलाई, 2025 को आयोजित बैठक में मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने संकल्प में दर्शाए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, बेंगलूरु (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148 (3) के तहत यथा आवश्यक, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा जाता है।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 12 में दिए गए संकल्प में कंपनी या उनके रिश्तेदारों का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधक कार्मिक किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं है।

The appointment of Secretarial Auditors shall be as per the amended Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations vide SEBI Notification dated December 12, 2024 and provisions of Section 204 of the Act and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. M/s Thirupal Gorige & Associates LLP, is a well-known firm of Practicing Company Secretaries based in Bengaluru. Renowned for its commitment to quality and precision, the firm has been Peer Reviewed by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

M/s Thirupal Gorige & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has provided its consent to be appointed as Secretarial Auditors and has confirmed that, if appointed, its appointment will be in accordance with Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated 31 December 2024 and other relevant applicable SEBI Circulars issued in this regard.

M/s Thirupal Gorige & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has confirmed that the firm is not disqualified and is eligible to be appointed as Secretarial Auditors in terms of Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.11 of the notice of this meeting.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.11 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.12:

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the Members subsequently.

The Board at its meeting held on 28 July 2025, based on recommendation of the Audit Committee appointed M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) to conduct cost audit of the Company for the financial year 2025-26 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.12 of the notice of this meeting.

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 12 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के खंड 1.2.5 में यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

मद सं. 3 के संबंध में -

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री के वी सुरेश कुमार (डीआईएन- 10200827)
जन्म तिथि	01 जुलाई 1966
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	16 जून 2023
शैक्षिक योग्यता	प्रौद्योगिकी स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी) तथा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में एम टेक
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री के वी सुरेश कुमार ने 16 जून 2023 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (मार्केटिंग) का पदभार ग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बेंगलूरु में बीईएल के उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) के महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी में स्नातकोत्तर श्री के वी सुरेश कुमार मई 1989 में परिवीक्षाधीन इंजीनियर के रूप में बीईएल में कार्यग्रहण किया था। एक कुशल इंजीनियर के रूप में उन्होंने बीईएल की कई यूनिटों में कई प्रौद्योगिकियों पर काम किया और मुख्य स्वदेशीकरण अधिकारी, बीईएल सहित प्रमुख कार्पोरेट पदों पर रहे। 34 वर्षों के महत्वपूर्ण करियर में, उन्होंने सभी प्रमुख ग्राहक खंडों से निपटने वाले विविध प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है और आर एंड डी के माध्यम से कारोबारी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री के वी सुरेश कुमार रक्षा मंत्री का प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उनके सक्षम संरक्षण में उनकी टीमों द्वारा कई पेटेंट/कॉपीराइट बनाए गए हैं। उन्होंने संकल्पना, डिज़ाइन, विकास, अर्हता, संस्थापन और कार्यारंभ, क्षेत्र परीक्षण और प्रणालियों को शामिल करने सहित उत्पाद विकास जीवन-चक्र के सभी चरणों में काम किया है। उन्हें अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों/आवश्यकताओं की गहरी जानकारी और समझ है और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य भी है।

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.12 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2).

In respect of item No.3:

Re-Appointment:

Name and DIN	Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827).
Date of Birth	01 July 1966.
Date of first appointment on the Board	16 June 2023.
Qualification	Bachelor of Technology (Electronics & Communications Engineering) and M.Tech in Advanced Electronics.
Expertise in specific function area	Mr K V Suresh Kumar took charge as Director (Marketing) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on June 16, 2023. He was serving as the General Manager of BEL's Product Development & Innovation Center (PD&IC) in Bengaluru before his elevation. A post-graduate in Electronics & Communications engineering, Mr K V Suresh Kumar joined BEL in May 1989 as a Probationary Engineer. An accomplished engineer, he has worked on multiple technologies at multiple Units of BEL, held key corporate positions, including that of Chief Indigenisation Officer, BEL. In an eventful career spanning 34 years, he has gained rich experience in diverse technology areas dealing with all major customer segments, and played a pivotal role in driving business development through R&D. Mr K V Suresh Kumar is a recipient of the prestigious Raksha Mantri's Excellence Award. Under his able tutelage, many patents / copy rights have been created by his teams. He has worked in all phases of product development life-cycle, including conceptualisation, design, development, qualification, installation and commissioning, field trials and induction of systems. He has in-depth knowledge and understanding of the end user's needs / requirements, and the means to meet them.

निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान:

बीईएल ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, हथियार प्रणाली, ईडबल्यू प्रणाली, फायर नियंत्रण प्रणाली (एफसीएस), नागरी परियोजनाओं आदि जैसी परियोजनाओं के योगदान से लगभग 35,000 करोड़ रुपए (2023-24) के आदेश प्राप्त किए। इस आदेश के साथ बीईएल ने एक वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च आदेश प्राप्त करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान निर्यात 92.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर (738.22 करोड़ ₹) रहा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापन साझेदारों में (ए) इलेट्रोनिका, इटली (बी) आईएआई, इज़रायल (सी) फुरुनो, जापान (डी) नौसेना आयुध महानिदेशालय (डीजीओएनए) (ई) एंड्यूरएयर, भारत (एफ) राफे एमफिबीर, भारत आदि शामिल हैं।

''कल की ओर एक साथ'' विषय वस्तु के साथ बीईएल का विपणन सम्मेलन ''मार्क 2024'' जनवरी 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया जिसमें बीईएल के विपणन कार्यपालकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने भाग लिया। कारोबार से संबंधित विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रख्यात वक्ताओं को आमंत्रित किया गया।

लगभग 71,650 करोड़ रुपये के मज़बूत ऑर्डर बुक बनाए रखते हुए, बीईएल ने 18715 करोड़ रुपए (2024-25) मूल्य के नए आदेश प्राप्त करते हुए एक और महत्वपूर्ण वर्ष पूरा किया। प्राप्त प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार थीं - बीएमपी II उन्नयन, अश्विनी रेडार, सॉफ्टवेयर निर्देशित रेडियो, डेटा लिंक, मल्टी-फंक्शन रेडार, ईओएन 51, सीकर, एंटी-ड्रोन प्रणाली, हवाई अड्डा निगरानी रेडार, सोनार उन्नयन, फ्लाईकैचर के पुर्जे, रेडार उन्नयन, स्पेयर्स और सेवाएं आदि।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापन साझेदारों में शामिल हैं - (ए) रिशेफ, इज़रायल (बी) रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (रूस) और एमएसके बिजनेस सॉल्यूशंस (भारत) (सी) सफरान, फ्रांस (डी) एसएबी ग्रिनटेक, दक्षिण अफ्रीका (ई) मित्सुबिशी, जापान (एफ) एसएसी, इसरो (जी) एंड्यूरएयर, भारत (एच) सीएसआईआर-एनएएल (आई) बीईएमएल।

During his tenure as Director:

BEL acquired orders worth around ₹ 35000 Crore (2023-24) with contribution from projects like Electronic Fuzes, Weapon Systems, EW System, Fire Control Systems (FCS), Civilian projects etc. With this, BEL set a new record of highest order acquisition in a Financial Year.

Exports for the FY 23-24 stood at US$ 92.98 Mn (₹ 738.22 Cr).

During FY 2023-24, the company signed a number of MoUs. Some of the major MoU partners include (a) Elettronica, Italy (b) IAI, Israel (c) Furuno, Japan (d) Directorate General of Naval Armament (DGONA) (e) EndureAir, India (f) Raphe mPhibir, India etc.

Marketing Conference of BEL, "MarC 2024" with the theme "Together towards tomorrow" was held at Vizag in Jan 2024 with participation of Marketing Executives & Senior Management of BEL. Eminent Speakers were invited for delivering talks on subjects relevant to the Business.

BEL delivered another year of significant performance by acquiring new orders worth ₹ 18,715 Crore (2024-25) maintaining a healthy order book of about ₹ 71,650 Cr. The major projects acquired were: BMP II Upgrade, Ashwini Radar, Software Defined Radios, Data link, Multi-Function Radars, EON 51, Seekers, Anti drone system, Airport Surveillance Radar, Sonar Upgradation, Flycatcher spares, Radar upgradation, Spares and Services etc.

During FY 2024-25, the company signed several MoUs. Some of the major MoU partners include (a) Reshef, Israel (b) Rosoboronexport (Russia) and MSK Business Solutions (India) (c) Safran, France (d) SAAB Grintek, South Africa (e) Mitsubishi, Japan (f) SAC, ISRO (g) EndureAir, India (h) CSIR-NAL (i) BEML.

पुनर्नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में पुनर्नियुक्ति।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	बीईएल थालेस सिस्टम्स लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल थालेस सिस्टम्स लिमिटेड - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एवं लेखापरीक्षा समिति के सदस्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित सात (07) बैठकों में से सात (07) बैठकों में भाग लिया।

मद सं. 4 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री रजनीश शर्मा (डीआईएन- 10738394)
जन्म तिथि	21 दिसंबर 1968
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	10 अगस्त 2024
शैक्षिक योग्यता	इंजीनियरिंग में स्नातक (मेकेनिकल)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री रजनीश शर्मा ने 10 अगस्त, 2024 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) का कार्यभार संभाला। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल के सैन्य रेडार एसबीयू के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

Terms and conditions of re-appointment	Re-appointment in terms of section 152(6) of the Companies Act, 2013.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	BEL-Thales Systems Limited.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL-Thales Systems Limited – Chairman of Nomination & Remuneration Committee and Member of Audit Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner.	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	Attended seven (07) meetings out of seven (07) meetings held during his tenure in BEL.

In respect of item No.4:

Appointment:

Name and DIN	Mr Rajnish Sharma (DIN: 10738394).
Date of Birth	21 December 1968.
Date of first Appointment onthe Board	10 August 2024.
Qualification	Bachelor of Engineering (Mechanical).
Expertise in specific function area	Mr Rajnish Sharma took charge as Director (Bangalore Complex) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on August 10, 2024. He was working as General Manager of BEL's Military Radars SBU prior to his elevation.

	श्री रजनीश शर्मा ने 1989 में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1990 में बीईएल में कार्यग्रहण किया। 33 वर्षों से अधिक के लंबे करियर में, उन्होंने बीईएल की विभिन्न यूनिटों और रणनीतिक कारोबारी यूनिटों (एसबीयू) में काम किया उन्हें रेडार सिस्टम, सेक्योर कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति और वैमानिकी, नौसैनिक मिसाइल सिस्टम आदि जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विविधतापूर्ण अनुभव प्राप्त है। उन्होंने एलआरसैम सहित बीईएल की कुछ सबसे बड़ी प्रणालियों के कार्य-निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे उनका अनुभव समृद्ध हुआ और उन्हें संगठनात्मक व्यवसायों, चुनौतियों, जन, टीमों, विविध संस्कृतियों आदि के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। ऐसी भूमिकाओं और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर, गुणता और संगठनात्मक उत्कृष्टता के प्रमाणित प्रबंधक, सिक्स सिग्मा, सीआईआई कारोबारी उत्कृष्टता मूल्यांकनकर्ता आदि जैसी व्यावसायिक दक्षताएं भी अर्जित की। इस ज्ञानार्जन ने उन्हें थालेस-फ्रांस, सेलेक्स-इटली, एचएसए-हॉलैंड, आरएसी-रूस और आईएआई-इज़राइल जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा, सीएबीएस के साथ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एवं कंट्रोल सिस्टम, फ्लाईकैचर, वेपन लोकेटिंग रेडार, रिपोर्टर रेडार, रेवती और रोहिणी रेडार जैसी परियोजनाओं में एलआरडीई के साथ सक्रिय भागीदारी ने श्री रजनीश शर्मा को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक और उत्पादन प्रक्रियाओं में अपने कौशल को निखारने में मदद की जो किसी भी कारोबारी संस्था की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा, सजग स्वभाव और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ घनिष्ठ संबंध ने श्री रजनीश शर्मा को अपने ज्ञानार्जन को आत्मसात करने और प्रौद्योगिकी को परिपक्व और मजबूत प्रक्रियाओं में बदलने की क्षमता दी जिससे सर्वश्रेष्ठ उत्पाद तैयार होते हैं। उनकी प्रक्रिया-उन्मुख और दृढ़ निश्चयी, कभी हार न मानने वाली प्रवृत्ति ने उन्हें कठिन लक्ष्यों को समय पर हासिल करने में मदद की।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2023- निदेशक (बीईएल) दिनांक 09 अगस्त 2024 में निर्धारित अनुसार।

	Mr Rajnish Sharma graduated in Mechanical Engineering from the Delhi College of Engineering in 1989 and joined BEL in 1990. In an eventful career spanning over 33 years, he has served at various Units and Strategic Business Units (SBUs) of BEL, gaining diverse exposure to core technologies such as Radar Systems, Secure Communication, Electronic Warfare & Avionics, Naval Missile Systems, etc. He has played a pivotal role in the execution of some of the largest systems of BEL, including LRSAM, which has broadened his outlook and given him a holistic view of organisational businesses, challenges, people, teams, diverse cultures, etc. While taking up such roles and challenges, he has also acquired professional competencies like the Certified Project Management Professional, Certified Manager of Quality and Organisational Excellence, Six Sigma, CII Business Excellence Assessor, etc. Such learnings have enabled him to successfully execute key projects with international companies like Thales-France, Selex-Italy, HSA-Holland, RAC-Russia and IAI-Israel. Also, active involvement with LRDE in projects such as the Airborne Early Warning & Control System with CABS, Flycatcher, Weapon Locating Radar, Reporter Radar, Revathi and Rohini Radars have helped Mr Rajnish Sharma hone his skills for a variety of business and production processes critical to the success of any business entity. His versatility, observant nature and close association with technology partners has given Mr Rajnish Sharma the knack to assimilate learnings and translate technology into developing mature and robust processes leading to best-in-class products. His process orientation and die-hard, never-give-up attitude has stood him in good stead, helping him to meet stringent targets on time.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/2/2023-D(BEL) dated 9 August 2024.

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	शून्य
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	3,780
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	आयोजित चार (04) बैठकों में से चार (04) बैठकों में भाग लिया।

मद सं. 5 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) (डीआईएन-09461326)
जन्म तिथि	05 जून 1958
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	23 अप्रैल 2025
शैक्षिक योग्यता	वास्तुकला में स्नातक, दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री और रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह (से.नि.) को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह रूड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रूड़की) से वास्तुकला में स्नातक हैं और उन्होंने इंदौर और दिल्ली से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की

Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	3,780.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	Attended four (04) meetings out of four (04) meetings held.

In respect of item No.5:

Appointment:

Name and DIN	Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.) (DIN: 09461326).
Date of Birth	05 June 1958.
Date of first Appointment on the Board	23 April 2025.
Qualification	Bachelor in Architecture, Master Degree in Philosophy and Masters in Defence Studies.
Expertise in specific function area	Lt. General Vishwambhar Singh (Retd.), has been appointed as Independent Director on the Board of Bharat Electronics Limited. Lt. General Vishwambhar Singh is a Bachelor in Architecture from University of Roorkee (now IIT Roorkee) and has a Master

	है और रक्षा अध्ययन (मद्रास विश्वविद्यालय) उपाधि प्राप्त हैं। उन्हें सिद्ध नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल के साथ भारतीय थलसेना में 37 वर्षों का अनुभव है। अपने पूरे करियर के दौरान, उनके द्वारा धारित महत्वपूर्ण पद निम्नानुसार हैं - मई 2017 से जून 2018 तक - जनरल ऑफिसर कमांडिंग, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र नवंबर 2015 से मई 2017 - महानिदेशक शस्त्र एवं उपकरण जनवरी 2015 से नवंबर 2015 - जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उत्तर भारत क्षेत्र जुलाई 2012 से जनवरी 2015 - मुख्य इंजीनियर पश्चिमी कमान और महानिदेशक कॉम्बैट इंजीनियरिंग नवंबर 2009 से जुलाई 2012 - उप महानिदेशक सैन्य प्रचालन।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी (बीईएल) दिनांक 22 अप्रैल 2025 में निर्धारित अनुसार।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	शून्य
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

	Degree in Philosophy from Indore and Delhi and Defence Studies (Madras University). He has an experience of 37 years in Indian Army with proven leadership and organisational skills. Throughout his career, the important positions held by him are as under: From May 2017 to June 2018 - General Officer Commanding, Maharashtra, Gujarat & Goa Area. From November 2015 to May 2017 - Director General Weapons and Equipment. From Jan 2015 to Nov 2015 - General Officer Commanding, Uttar Bharat Area. From July 2012 to Jan 2015 - Chief Engineer Western Command and Director General Combat Engineering From Nov 2009 to July 2012 - Deputy Director General Military Operations.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/3/2019-D(BEL) dated 22 April 2025.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil

हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मद सं. 6 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री हरि कुमार राघवन नायर (डीआईएन-11086669)
जन्म तिथि	23 मार्च 1967
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	2 मई 2025
शैक्षिक योग्यता	बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री हरि कुमार राघवन नायर ने नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) के रूप में कार्यभार संभाला। मंडल में इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल में महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी योजना) के रूप में कार्यरत थे। श्री हरि कुमार राघवन नायर ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिवेंद्रम, केरल से बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) पूरा करने के बाद 01 मई 1989 को प्रोबेशनरी इंजीनियर के रूप में बीईएल में प्रवेश लिया। साढ़े तीन दशक से अधिक के करियर में, वे मुख्य रूप से विकास और इंजीनियरिंग (डी एंड ई) में रहे हैं, जहाँ उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रलेखन के साथ विनिर्माण का समर्थन किया है। वे उन टीमों का हिस्सा थे जिन्होंने वीएसएनएल और दूरदर्शन के सैटकॉम अर्थ स्टेशनों के लिए भारत के पहले 65-केल्विन सी-बैंड और विस्तारित-सी-बैंड कम शोर एम्पलीफायरों को विकसित किया था। उनकी टीमें बीईएल में संचार और रेडार अनुप्रयोगों दोनों के लिए गैलियम नाइट्राइड (GaN) तकनीक पर आधारित ट्रांसमीटरों के साथ-साथ चरणबद्ध सरणी रेडार के लिए सी-बैंड क्वाड ट्रांसमिट-रिसीव (टी/आर) मॉड्यूल और माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायरों के लिए सॉलिड-स्टेट प्रतिस्थापन विकसित करने वाली पहली टीम थीं। वर्ष 2020 में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान, उन्होंने उन टीमों का नेतृत्व किया, जिन्होंने 45 दिनों में बीईएल को आईएसओ 13485:2016 मेडिकल मानक प्रमाणित करवाया और बीईएल के आईसीयू वेंटिलेटर सिस्टम का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाया, जिसके बाद उन्होंने 3.5 महीने में 30,000 वेंटिलेटर सिस्टम (जिसमें 1.5 लाख सब-सिस्टम शामिल हैं) का प्री डिस्पैच निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	No Meeting was held during the Financial Year 2024-25 for which he was eligible to attend.

In respect of item No.6:

Appointment:

Name and DIN	Mr Harikumar Raghavan Nair (DIN: 11086669).
Date of Birth	23 March 1967.
Date of first Appointment on the Board	2 May 2025.
Qualification	B. Tech. (Electronics & Communication).
Expertise in specific function area	Mr Harikumar Raghavan Nair took charge as Director (R&D) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) today. He was serving as General Manager (Technology Planning) prior to being elevated to the Board. Mr Harikumar Raghavan Nair joined BEL on May 1, 1989, as a Probationary Engineer after completing his B. Tech. (Electronics & Communication) from the College of Engineering, Thiruvananthapuram, Kerala. In a career spanning over three and a half decades, he has primarily been in Development and Engineering (D&E), supporting manufacturing activities at BEL with high-quality designs and engineering documentation. He was a part of the teams that developed India's first 65-Kelvin C-band and Extended-C-band Low Noise Amplifiers for Satcom earth stations of VSNL & Doordarshan. His teams also were the first to develop transmitters based on Gallium Nitride (GaN) technology for both communications & radar applications along with C-Band Quad Transmit-Receive (T/R) Modules for phased array radars and solid-state replacements for microwave tube amplifiers. During the first wave of COVID-19 in 2020, he led teams which got BEL certified to the ISO 13485:2016 Medical Standard in 45 days, and BEL's ICU Ventilator System third-party evaluated, before successfully completing the Pre Dispatch Inspection of 30,000 Ventilator Systems (comprising 1.5 Lakh sub-systems) in 3.5 months.

	वर्ष 2020-22 के दौरान, उन्होंने कंपोनेंट एसबीयू के टर्न-अराउंड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें खरीद में तेजी लाना और कई उत्पाद समूहों में उत्पादन को बढ़ाना शामिल है। जीएम (टीपी) के रूप में, वे अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं और परियोजनाओं की देखरेख और गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनकी टीमों ने कई पेटेंट आवेदन दायर किए हैं और कई बीईएल अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार, साथ ही एसओडीईटी और रक्षा मंत्री पुरस्कार जीते हैं। डी एंड ई, टीओटी अवशोषण, ज्ञान प्रबंधन, उत्पादन और खरीद में विविध अनुभव के साथ एक टीम खिलाड़ी - उनका मानना है कि बीईएल को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए और उसका पोषण किया जाना चाहिए। वह अपने सभी सीखने, प्रदर्शन और विकास का श्रेय असाधारण रूप से प्रतिबद्ध पूर्व और वर्तमान वरिष्ठों और सहकर्मियों को देते हैं।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2024-डी (बीईएल) दिनांक 01 मई 2025 में निर्धारित अनुसार।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	बीईएल थालेस सिस्टम्स लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल थालेस सिस्टम्स लिमिटेड - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और लेखापरीक्षा समिति के सदस्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

	During 2020-22, he also played a key role in the turnaround of Components SBU, including speeding up procurement and ramping up production across multiple product groups. As GM (Technology Planning), he focussed on overseeing and speeding up R&D processes and projects. His teams have filed multiple patent applications and won multiple BEL R&D Awards, plus SODET and Raksha Mantri Awards. A team player with varied experience in D&E, ToT absorption, knowledge management, production & procurement he believes that every function needs to be valued and nurtured for BEL to achieve its goals. He attributes all his learning, performance and growth to exceptionally committed past and present seniors and colleagues.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/3/2024-D(BEL) dated 01 May 2025.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	BEL-Thales Systems Limited.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL-Thales Systems Limited – Member of Nomination & Remuneration Committee and Audit Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मद सं. 7 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री प्रदीप त्रिपाठी (डीआईएन - 11111295)
जन्म तिथि	24 जनवरी 1973
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	16 मई 2025
शैक्षिक योग्यता	एम.कॉम तथा अस्पताल प्रबंधन की उपाधि
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री प्रदीप त्रिपाठी वाणिज्य और अस्पताल प्रबंधन में मजबूत पृष्ठभूमि के साथ एक अनुभवी पेशेवर हैं। दोनों क्षेत्रों में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ, वह विभिन्न क्षेत्रों में दो दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। श्री प्रदीप त्रिपाठी रेडक्रॉस में महासचिव (2022-24), 2021 से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीओएसटी) के मंडल सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और 1998 से हर्ष एंटरप्राइजेज के मालिक हैं। उनका नेतृत्व और प्रबंधकीय विशेषज्ञता गैर-लाभकारी, सरकारी और निजी क्षेत्रों में फैली हुई है।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी(बीईएल) दिनांक 15 मई 2025 में निर्धारित अनुसार।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	शून्य
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य

Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	No Meeting was held during the Financial Year 2024-25 for which he was eligible to attend.

In respect of item No.7:

Appointment:

Name and DIN	Mr Pradeep Tripathi (DIN: 11111295).
Date of Birth	24 January 1973.
Date of first Appointment on the Board	16 May 2025.
Qualification	M.Com and Hospital Management.
Expertise in specific function area	Mr Pradeep Tripathi is a seasoned professional with a strong background in commerce and hospital management. With a Postgraduate qualification in both fields, he brings over two decades of experience across various domains. Mr Pradeep Tripathi has held key positions including serving as a General Secretary at the Red Cross (2022-24), a Board Member at the Madhya Pradesh Council of Science and Technology (MPCOST) since 2021, and is the Owner of Harsh Enterprises since 1998. His leadership and managerial expertise span across non-profit, governmental, and private sectors.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/3/2019-D(BEL) dated 15 May 2025.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मद सं. 8 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (डीआईएन - 07781550)
जन्म तिथि	7 मई 1958
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	21 मई 2025
शैक्षिक योग्यता	बी. कॉम और एलएलबी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार, पूर्व सांसद (राज्य सभा) ने दो विषयों यानी बी. कॉम और एलएलबी में स्नातक किया है। वह कृषि, वाणिज्य और कानून में सुदृढ पृष्ठभूमि के साथ एक पेशेवर हैं। श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार ने संसद सदस्य (2008-2014) और गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष (1999-2003) सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनका नेतृत्व और प्रबंधकीय विशेषज्ञता पूरे राज्य सरकार के संगठनों में व्याप्त है।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2019-डी (बीईएल) दिनांक 16 मई 2025 में निर्धारित अनुसार।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं

Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	No Meeting was held during the Financial Year 2024-25 for which he was eligible to attend.

In respect of item No.8:

Appointment:

Name and DIN	Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar (DIN: 07781550).
Date of Birth	7 May 1958.
Date of first Appointment on the Board	21 May 2025.
Qualification	B Com and LLB.
Expertise in specific function area	Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar, a former Member of Parliament (Rajya Sabha) has gained graduation in two streams i.e. B Com and LLB. He is a professional with a strong background in Agriculture, Commerce and Law. Mr Bharatsinh Prabhatsinh Parmar has held key positions including serving as a Member of Parliament (2008-2014) and Chairman of Gujarat State Police Housing Corporation (1999-2003). His leadership and managerial expertise span across State Government organization.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/3/2019-D(BEL) dated 16 May 2025.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.

अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	शून्य
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मद सं. 9 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री कामेश कसाना (डीआईएन - 11194293)
जन्म तिथि	27 फरवरी 1972
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	14 जुलाई 2025
शैक्षिक योग्यता	इंजीनियरी स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री कामेश कसाना ने 14 जुलाई, 2025 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (अन्य यूनिटें) पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल की सैन्य संचार रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे। श्री कामेश कसाना जिन्होंने वर्ष 1993 में बीईएल में कार्यग्रहण किया था, के पास रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक अवधि का विशिष्ट अनुभव है। अपने इस दीर्घ करियर में उन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बीईएल के पोर्टफोलियो के स्वदेशीकरण, आधुनिकीकरण और रणनीतिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	No Meeting was held during the Financial Year 2024-25 for which he was eligible to attend.

In respect of item No.9:

Appointment:

Name and DIN	Mr Kamesh Kasana (DIN: 11194293).
Date of Birth	27 February 1972.
Date of first Appointment on the Board	14 July 2025.
Qualification	Bachelor of Engineering (Electronics & Communication).
Expertise in specific function area	Mr Kamesh Kasana took charge as Director (Other Units) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on July 14, 2025. He was working as General Manager of BEL's Military Communication Strategic Business Unit (SBU) in Bengaluru prior to his elevation. Mr Kamesh Kasana, who joined BEL in 1993, brings with him over three decades of distinguished experience in Defence electronics. Throughout his career, he has made significant contributions to the indigenisation, modernisation, and strategic growth of BEL's portfolio, playing a vital role in strengthening India's Defence capabilities.

इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में बी.टेक. की योग्यता धारक और एनआईटी कुरुक्षेत्र के पूर्व विद्यार्थी श्री कसाना व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक भी हैं और सिक्स सिग्मा (ग्रीन बेल्ट, डीएमएआईसी) प्रमाणित तथा परियोजना प्रबंधन पेशेवर (पीएमपी) हैं। उनका करियर तकनीकी विशेषज्ञता, कारोबारी कुशाग्रता और भविष्यदृष्टा नेतृत्व का अद्भुत मिश्रण है।

श्री कसाना ने प्रमुख रक्षा प्रोग्रामों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है जिनमें भारतीय नौसेना के ज़मीनी जहाजों और पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण सी4आई प्रणालियों के साथ-साथ भारतीय थलसेना की वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली (आकाशतीर) शामिल हैं। स्वदेशीकरण, लागत कटौती और आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप एमएसएमई और स्टार्ट-अप को समर्थन देने के साथ उनके प्रयासों से बीईएल को कई हज़ार करोड़ रु. मूल्य के बड़े आदेश प्राप्त करने और उन्हें निष्पादित करने में मदद मिली है।

बेंगलूरु में बीईएल के सैन्य संचार रणनीतिक कारोबारी यूनिट के महाप्रबंधक और कारोबारी प्रमुख के रूप में उन्होंने परिचालन की पुन:संरचना, उत्पाद नवाचार और ग्राहकों की अधिक संबद्धता बढ़ाते हुए एसबीयू को लगातार दो वर्षों तक रु. 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी पहलों से बीईएल को मज़बूत साझेदारियां करने, सुपुर्दगी की समय-सीमा में सुधार लाने और संधारणीय कारोबारी प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिली।

निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में अपनी नई भूमिका में श्री कसाना बीईएल की अन्य यूनिटों को प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता, अधिक लचीला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के केंद्रों में रूपांतरित करना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकताओं में अधिक प्रतिस्पर्धी आर एंड डी द्वारा नवाचार, कृत्रिम प्रज्ञान, स्वशासी प्रणालियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां और क्वान्टम कंप्यूटिंग के कार्यों में तेजी लाना, परिचालन दक्षता को सशक्त बनाना और आपूर्ति कड़ी की सुदृढ़ता, डीआरडीओ, इसरो, निजी उद्योगों, एमएसएमई और वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना और अक्षय ऊर्जा तथा संधारणीयता के लिए बीईएल की प्रतिबद्धता को बढ़ाना शामिल हैं।

श्री कसाना के सक्षम नेतृत्व से भारत के रक्षा पारितंत्र को सशक्त बनाने के बीईएल के मिशन को गति मिलेगी और वृद्धिशील जटिल वैश्विक परिवेश में स्थायी विकास, ग्राहक संतुष्टि और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

An alumnus of NIT Kurukshetra with a B.Tech in Electronics and Communication Engineering, Mr Kasana also holds a Post Graduate Diploma in Business Administration and is certified in Six Sigma (Green Belt, DMAIC) and as a Project Management Professional (PMP). His career reflects a unique blend of technical expertise, business acumen and visionary leadership.

Mr Kasana has successfully led key Defence programmes, including the Indian Army's Air Defence Control and Reporting System (Akashteer) and Battlefield Surveillance Systems, as well as critical C4I systems for the Indian Navy's surface ships and submarines. His efforts have contributed to BEL securing and executing large-scale orders worth several thousand crores, while simultaneously promoting indigenisation, cost reduction, and support for MSMEs and start-ups in alignment with the national vision of Aatmanirbhar Bharat.

In his new role as Director (Other Units), Mr Kasana envisions transforming BEL's other units into centres of technological excellence, resilience, and global competitiveness. His priorities include accelerating innovation through cutting-edge R&D, artificial intelligence, autonomous systems, space technologies, and quantum computing; strengthening operational efficiency and supply chain robustness; deepening collaborations with DRDO, ISRO, private industry, MSMEs, and global partners; and advancing BEL's commitment to renewable energy and sustainability.

Mr Kasana's leadership is expected to drive BEL's mission to empower India's Defence ecosystem, while ensuring sustained growth, customer satisfaction, and national security in an increasingly complex global environment.

नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/4/2024-डी (बीईएल) दिनांक 14 जुलाई 2025 में निर्धारित अनुसार।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड – लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति के सदस्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मद सं. 10 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	सुश्री मीरा मोहंती (डीआईएन - 03379561)
जन्म तिथि	8 अगस्त 1977
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	16 जुलाई 2025
शैक्षिक योग्यता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/4/2024-D(BEL) dated 14th July 2025.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	BEL Optronic Devices Limited
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL Optronic Devices Limited - Member of Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and CSR Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	No Meeting was held during the Financial Year 2024-25 for which he was eligible to attend.

In respect of item No.10:

Appointment:

Name and DIN	Ms Meera Mohanty (DIN: 03379561).
Date of Birth	08 August 1977.
Date of first Appointment on the Board	16 July 2025.
Qualification	Indian Administrative Service.

विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	सुश्री मीरा मोहंती 2005 बैच की आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें रक्षा उत्पादन विभाग में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पीएंडसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव थीं। वे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड के मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8(32)/2019-डी (कोऑर्ड/डीडीपी) दिनांक 14 जुलाई 2025 में निर्धारित अनुसार।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड 2. बीईएमएल लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

वेंगलूरु
1 अगस्त, 2025

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Expertise in specific function area	Ms. Meera Mohanty is an IAS officer Himachal Pradesh of 2005 batch who has been appointed as Joint Secretary (P&C) in the Ministry of Defence in the Department of Defence Production. Prior to this, she was a Joint Secretary at Prime Minister's Office. She is Government Nominee Director on the Board of Bharat Electronics Limited and BEML Limited.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. 8(32)/2019-D (Coord/DDP) dated 14 July 2025.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	1. Bharat Dynamics Limited 2. BEML Limited
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2024-25.	No Meeting was held during the Financial Year 2024-25 for which she was eligible to attend.

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
1 August 2025

S Sreenivas
Company Secretary

[THIS PLACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK]